Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera
S.T. 489/2022+640/2022
CIS 126/2022

12.01.2024 सभी 4 अभियुक्तों में से एक की हाजरी तथा 2 अभियुक्तों की ओर से प्रतिनिधित्व आवेदन पत्र दाखिल किया गया, जिसे केवल आजभर के लिए स्वीकृत किया जाता है। शेष 1 काराधीन अभियुक्त को कारा से प्रस्तुत किया गया।

अभिलेख आज आदेश हेतु प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से दिनांक 30.11.2023 को एक आवेदन दाखिल कर विद्वान अपर लोक अभियोजक निवेदन करते हैं कि वर्तमान वाद साक्ष्य हेतु लंबित है व वर्तमान वाद में आरोप पत्रित साक्षी सं0–01 (सूचक) एवं आरोप पत्रित साक्षी सं0–2. प्रिन्स कुमार का साक्ष्य हो चुका है। वर्तमान वाद में पुलिस द्वारा अभियुक्तों के मेल में आकर अभियुक्तगण के मेली गवाहों का ब्यान कांड दैनिकी में दर्ज कर उसे आरोप पत्रित साक्षी बना दिया गया है।आरोप पत्रित साक्षी सं0–03, स्मिता देवी प्राथमिकी अभियुक्त लाल बहादुर यादव की भतीजी है, जो अभियुक्तों के मेल व प्रभाव में है। इस वाद के कुछ अन्य आरोप पत्रित साक्षी सं0–4. मो0 रहमान, 5.रामकृपाल यादव, 6. अराधना कुमारी, 7. प्रमोद कुमार अभियुक्तों के मेल एवं प्रभाव में है, जिसके लिए आरोप पत्रित साक्षी सं0–3. से 7. तक को साक्ष्य भार से से मुक्त (गिवअप) करने हेतु एक प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2023 को दाखिल किया गया था। अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान अपर लोक अभियोजक आगे अभिकथन करते हैं कि इस आवेदन में वर्णित गवाह जो घटना के समय घटनास्थल पर उपस्थित था व घटना का चश्मदीद गवाह है, जो साक्ष्य देने हेतु तैयार है और अभियोजन पक्ष उक्त साक्षी को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनका साक्ष्य लिया जाना न्यायहित में आवश्यक है। निम्न वर्णित साक्षियो में साक्षी जगदम्बी यादव काण्ड के मृतक को बचाने के क्रम में जख्मी हो गया था, जिसका जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर है। साक्षी सं0–2. राकेश कुमार, 3. ज्योति कुमार, 4. रामपरी देवी, 5. कुणाल कुमार घ ाटना के चश्मदीद गवाह है व कुणाल कुमार मृत्यु समीक्षा प्रतिवेदन का भी साक्षी है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अपर लोक अभियोजक आवेदन मे वर्णित साक्षियों का साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु आदेश दिये जाने का निवेदन करते हैं।

अभियुक्त उमेश यादव की ओर से बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता दिनांक 30.11.2023 को प्रत्युत्तर दाखिल कर निवेदन करते हैं कि अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन में वर्णित 1–6 पारा तक का तथ्य दिनांक 10.11.2023 को दाखिल आवेदन का दोहरीकरण तथ्य है। अभियोजन पक्ष घटना के संबंध में 5 साक्षी प्रस्तुत करना चाहते हैं लेकिन उक्त साक्षियों का नाम आरोप पत्र में अंकित नही है। अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल किया गया आवेदन कानून की दृष्टि से

Court of Addl. District & Sessions Judge-II, Rosera
S.T. 489/2022+640/2022
CIS 126/2022

लगातार
12.01.2024

पोषणीय नही है। आवेदन किसी ठोस तथ्य एवं आधार पर वर्णित नही है। अंत में विद्वान अधिवक्ता अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन को खारिज किए जाने का निवेदन करते हैं।

सूना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद में अभियुक्तगण के विरूद्ध भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 149, 302 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया है, जिसे बाद में माननीय न्यायालय द्वारा भा0द0वि0 की धारा–147, 148, 323/149, 302/149 के अंतर्गत अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप का गठन किया गया है। वाद अभियोजन साक्ष्य हेतु लंबित है। अभिलेख अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन में वर्णित साक्षी जगदम्बी यादव वाद के मृतक को बचाने के क्रम में खुद भी जख्मी हुआ था, जिसका जख्म प्रतिवेदन अभिलेख पर उपलब्ध है, जबकि साक्षी राकेश कुमार, ज्योति कुमार, मो0 रामपरी देवी एवं कुणाल कुमार घटना का चश्मदीद गवाह है, जिसमें से कुणाल कुमार मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट का भी साक्षी है। बचाव पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता आवेदन में वर्णित साक्षियों का नाम आरोप पत्र में अंकित नही होने की तथ्यों को उजागर करते हुए विरोध करते हैं। चुँकि अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन में वर्णित साक्षीगण घटना का चश्मदीद गवाह है ऐसी स्थिति में अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन को स्वीकृत करना कानून की दृष्टि से न्यायसंगत है। अतः अभियोजन पक्ष की ओर से दाखिल दिनांक 30.11.2023 के आवेदन को **स्वीकृत** किया जाता है। अभियोजन पक्ष को निर्देश दिया जाता है कि वो अगली छः तिथियों के अंदर सुनिश्चित करें काराधीन अभियुक्त को पुनः कारा में संसीमित किया गया।

दिनांक 25.01.2024 वास्ते साक्ष्य।

लेखापित

अपर सत्र न्यायाधीश–द्वितीय